भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1478

(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सलाहकारों की नियुक्ति

1478. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में श्रेणी-वार (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) नियुक्त परामर्शदाताओं/सलाहकारों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से नियमित पदों पर नियुक्त परामर्शदाताओं/सलाहकारों की संख्या कितनी है;

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत या अस्थायी पदों पर नियुक्त परामर्शदाताओं/सलाहकारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर के संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार के उस अधिनियम, नियम, कार्यालय ज्ञापन का ब्यौरा क्या है जिसके तहत इन संवैधानिक प्रावधानों को अधिक्रमित किया गया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (च): ग्रामीण विकास मंत्रालय में दो विभाग हैं - ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर)। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत , ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है - प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ,

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), आदि। इन सभी प्रमुख कार्यक्रमों को नवीन तकनीकी समाधानों का उपयोग करते हुए एक विशिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। भूमि संसाधन विभाग डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) और वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का कार्यान्वयन कर रहा है। इसलिए, यह देखा गया है कि इस मंत्रालय में कार्यभार काफी बढ़ गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। परामर्शदाता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय के दिन-प्रतिदिन के समन्वय को सुगम बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं , ताकि अधिकारी मुख्य नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकें।

दिनांक 25.07.2025 तक ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न प्रभागों में , कुल 325 परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है और भूमि संसाधन विभाग द्वारा 37 परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। इन परामर्शदाताओं को संस्थानों , स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। परामर्शदाताओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया जाता है , जिससे सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और अन्य मौजूदा निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस मंत्रालय को बजट सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों से परामर्शदाताओं का पारिश्रमिक दिया जाता है। परामर्शदाताओं का श्रेणी-वार डेटा इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

******